

दिनांक: 5/10/2024

तारीखरजु: 3/9/24

उपनाम:- शारदा देवी बगाम बत्तीलाल बगै
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

क्र

फर्द अहकाम

प्रार्थी की ओर से श्री विष्णु कंटक एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर गनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के नोटिसा जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब होकर पत्रावली दिनांक 07.10.2024 को पेश हो।

5049-59
3/9/24

(सुनीता मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

10
24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील ने उपस्थित होकर इस वाक्य का उचित कारण प्रस्तुत किया। प्रार्थी की पक्षीय बहस पर गनन किया गया। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर गनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के नोटिसा जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब होकर पत्रावली दिनांक 07.10.2024 को पेश हो।

Not press
V. Kartik.
ad.

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-गंगापुर सिटी

